भारतीय मानक ब्यूरो
(स्थापना विभाग)

मानक भवन
9, बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली-110002

हमारा संदर्भ: स्था-I/I/06:01/01/2021

दिनांक : 31 दिसम्बर 2020

कार्यालय ज्ञापन

निम्नलिखित वरिष्ठ सचिवालय सहायकों को वेतन मेट्रिक्स में लेवल-6 में सहायक अनुभाग अधिकारी पद में नीचे दिये गए विवरण के अनुसार पदोन्नति हेतु चयनित किया गया है :

The following Senior Secretariat Assistants have been selected for promotion to the post of Assistant Section Officer in the Level-6 in the Pay Matrix as per details given below:

क्र.सं.	कर्मचारी सं.	नाम तथा पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान
1.	029599	श्री एस. के. खड्ये Shri S.K. Khadye	पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय प्रयोगशाला, मुंबई WROL, Mumbai
2.	062510	श्री आनंदा गोपाल रजक Shri Ananda Gopal Rajak	कोलकाता शाखा कार्यालय, कोलकाता KKBO, Kolkata

2. उनकी पदोन्नति उनके वर्तमान तैनाती स्थान पर सहायक अनुभाग अधिकारी पद पर 01 जनवरी 2021 **अथवा** पदभार ग्रहण करने की तिथि, **जो भी बाद में हो**, से प्रभावी होगी। अत: वे पदोन्नति पर अपनी पदभार ग्रहण रिपोर्ट तद्नुसार अपने विभागीय प्रमुख के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को ईमेल estt@bis.gov.in द्वारा भेजें।

Their promotion will take effect from 01 January 2021 **OR** the date they assume the duties of the post of Assistant Section Officer at their present place of posting, **whichever is later**. Therefore, they should send their duty assumption report on promotion **accordingly** to the undersigned by email at estt@bis.gov.in, through their Departmental Head.

3. चूंकि वे MACPS के अंतर्गत IInd/IIIrd वित्तीय उन्नयन के अनुदान के अंतर्गत लेवल-5 में वेतन निर्धारण का लाभ प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए, वे नियमानुसार, पदोन्नति पर वेतन निर्धारण की पात्र नहीं हैं। यदपि, पे मेट्रिक्स में उच्च लेवल वाले पद पर पदोन्नति होती है तो जैसा कि MACPS के अंतर्गत उपलब्ध है, कोई वेतन निर्धारण उपलब्ध नहीं होगा, केवल उच्च लेवल तथा निम्न लेवल में वेतन के अंतर, यदि कोई है, के पात्र होंगे।

Since, they have got the benefit of pay fixation under the grant of IInd/IIIrd Financial Up-gradation under MACP Scheme in the Level-5, therefore, they are not entitled for pay fixation consequent upon promotion, as per rules. However, the promotion is in the post carrying higher Level in the Pay Matrix than what is available under MACPS, no pay fixation would be available and only difference of pay, if any in the pay in the existing Level and the Higher Level, would be made available.

4. वे दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षा पर होंगे, जिसको ब्यूरो के नियमों व विनियमों के अंतर्गत स्वीकृत नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा अवधि के दौरान, उन पर बिना किसी कारण या बिना किसी सूचना के वरिष्ठ सचिवालय सहायक पद पर प्रत्यावर्तित किए जाने की बाध्यता होगी।

They shall be on probation for a period of two years, which may be extended by the Appointing Authority as permitted under the Rules and Regulations of the Bureau. During the period of probation, they will be liable to be reverted to the post of Senior Secretariat Assistant without any notice or any reason being assigned.

5. उन्हें भारत में कहीं भी सेवा करनी पड़ सकती है।

They will be required to serve anywhere in India.

6. सेवा की अन्य नियम व शर्तो के संबंध में वह समय-समय पर लागू ब्यूरो के नियमों व विनियमों द्वारा शासित होंगी।

As regards other terms and conditions of service they will be governed by the Rules and Regulations of the Bureau in force from time to time.

हस्ता/-
(संदीप मीना)
निदेशक (स्थापना)

उपरोक्त पैरा 1 के अंतर्गत दिये कर्मचारियों को उनके संबन्धित विभागीय प्रमुखों के माध्यम से

प्रतिलिपि:(i)संबन्धित उपमहानिदेशक (सतर्कता सचिवालय) (ii) निदेशक (लेखा) (iii) निदेशक (वित्त)
(iv) संबन्धित कर्मचारी की वैयक्तिक फ़ाइल (v) संबन्धित कर्मचारी की छुट्टी फ़ाइल
(vi) स्था-V (कम्प्यूटर अद्यतन तथा GIS हेतु) (vii) मुख्यालय-आईटीएस (BIS इंट्रानेट पर परिचालन हेतु)

निदेशक (स्थापना)